ई–मेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

पत्र क्रमांकःएफ 13(6)खा.वि./आवंटन/2024–01323 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

आयुक्त,
सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–सहरिया (PVTGs) परिवारों/व्यक्तियों के नाम सुरक्षा योजना में जोडे जाने हेतु पोर्टल खुलवाने बाबत

महोदय,

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTGs) को प्राथमिकता से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिनमें राजस्थान राज्य के बांरा जिले के सहरिया जनजाति परिवार सम्मिलित है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अधिसूचना दिनांक 28.06.2023 की अनुसूची–1 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में "सहरिया जनजाति परिवार" समावेशन श्रेणी में सम्मिलित है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के बांरा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित सहरिया परिवारों/व्यक्तियों के नाम जोडने हेतु पोर्टल स्थायी रूप से खोले जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय,

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1– जिला कलक्टर (रसद), बांरा को प्रेषित कर अनुरोध है कि सहरिया परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुडवाने हेतु प्रस्तुत आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।

2– एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर से समन्वय स्थापित कर उक्तानुसार पोर्टल खुलवाये जाने बाबत आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें।

3– जिला रसद अधिकारी, बांरा को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4– प्रोग्रामर (खाद्य) को संबंधित को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.01.10 12:43:09 IST
Reason: Approved